न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

केस नं0 – 133/2024
अनवान : –

1. जतनसिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
2. स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा सिकरोड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री कपूरचंद शर्मा वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 30/12/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एमआरएन के खाता सं0 26/27 के मु0न0 13 के किला न0 25 मु0न0 26 के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, .16/1, 16/2, 16/4, 17/1 की कुल 1.6230है0 कृषि भूमि मय गै0मु0 खाला वादी व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस, वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामा के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। ... वादी ने रोही मौजा चक रोही मौजा चक 8 एमआरएन के खाता सं0 26/27 के मु0न0 13 के किला न0 25 मु0न0 26 के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/4, 17/1 की कुल 1.6230है0 कृषि भूमि मय गै0मु0 खाला संयुक्त खातेदारी दर्ज है, में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:20:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...दी जतनसिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी मेहराना:— रोही मौजा चक 8 एमआरएन के मु0न0 26 के किला न0 4 की 0.114 है0 नहरी किला न0 5/2 की 0.013है0 गै0मु0 खाला किला न0 7 की 0.253है0 नहरी किला न0 14 की 0.253है0 नहरी किला न0 17/1 की 0.228है0 नहरी इस प्रकार कुल 0.861 है0 जिसमें से 0.848 है0 नहरी एवं 0.013है0 गै0मु0 खाला।

प्रतिवादी सं0 1 हरीकिषन पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी मेहराना :— रोही मौजा चक 8 एमआरएन के मु0न0 13 के किला न0 25 की 0.013है0 नहरी मु0न0 26 के किला न0 5/1 की 0.203है0 किला न0 5/3 की 0.012 है0 गै0मु0 खाला किला न0 6/1 की 0.228है0 नहरी किला न0 6/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 15/1 की 0.228है0 नहरी किला न0 15/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 16/2 की 0.203है0 नहरी व किला न0 16/4 की 0.025है0 गै0मु0 खाला इस प्रकार कुल 0.962है0 जिसमें 0.875 नहरी एवं 0.087है0 गै0मु0 खाला

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा /जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी, R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:20:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 133/2024

अनवान : –

1. जतनसिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
2. स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा सिकरोड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक रोही मौजा चक 8 एमआरएन के खाता सं0 26/27 के मु0न0 13 के किला न0 25 मु0न0 26 के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/4, 17/1 की कुल 1.8230है0 कृषि भूमि मय गै0मु0 खाला संयुक्त खातेदारी दर्ज है, में वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

वादी जतनसिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी मेहराना:– रोही मौजा चक 8 एमआरएन के मु0न0 26 के किला न0 4 की 0.114 है0 नहरी किला न0 5/2 की 0.013है0 गै0मु0 खाला किला न0 7 की 0.253है0 नहरी किला न0 14 की 0.253है0 नहरी किला न0 17/1 की 0.228है0 नहरी इस प्रकार कुल 0.861 है0 जिसमें से 0.848 है0 नहरी एवं 0.013है0 गै0मु0 खाला।

प्रतिवादी सं0 1 हरीकिषन पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी मेहराना :– रोही मौजा चक 8 एमआरएन के मु0न0 13 के किला न0 25 की 0.013है0 नहरी मु0न0 26 के किला न0 5/1 की 0.203है0 किला न0 5/3 की 0.012 है0 गै0मु0 खाला किला न0 6/1 की 0.228है0 नहरी किला न0 6/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 15/1 की 0.228है0 नहरी किला न0 15/2 की 0.025है0 गै0मु0 खाला किला न0 16/2 की 0.203है0 नहरी व किला न0 16/4 की 0.025है0 गै0मु0 खाला इस प्रकार कुल 0.962है0 जिसमें 0.875 नहरी एवं 0.087है0 गै0मु0 खाला

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested